

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ7 1(2)()राछा/सान्याअवि/20/ 2773 जयपुर, दिनांक 31/10/2020

आदेश


विभागीय आदेश क्रमांक 2080 दिनांक 30.09.2020 के द्वारा राजकीय/अनुदानित/पीपीपी मोड विद्यालय स्तरीय छात्रावासों एवं महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु पोर्टल पर ऑनलाईन प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गई थी।

राजकीय/अनुदानित/पीपीपी मोड के विद्यालय स्तरीय एवं राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र कम प्राप्त होने के कारण से अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 निर्धारित की जाती है।

इसी प्रकार प्रवेश की वरीयता सूची जारी करने की तिथियां भी निम्नानुसार नियत की जाती है:-

वरीयता सूची	प्रस्तावित नियत दिनांक
नवम सूची	31 अक्टूबर 2020
दशम सूची	15 नवम्बर 2020
ग्यारहवीं सूची	30 नवम्बर 2020


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


31/10/2020
(अनुपम कायल)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

क्रमांक : एफ7 1(2)()राछा/सान्याअवि/20/2773-2849 जयपुर, दिनांक 31/10/2020
प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर (समस्त)
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्राक्धान करवाने हेतु।
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
8. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।
9. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
10. आदेश पत्रावली।


31/10/2020

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)